



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 8, 2018/ज्येष्ठ 18, 1940

No. 219]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 8, 2018/ JYAISTHA 18, 1940

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2018

सं.12-6/2001-के हो प (पार्ट-II).—होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम,1973 (1973 का 59वाँ) की धारा 33 के साथ पठित धारा 12 क, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से नए होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना (अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना) विनियम, 2011 में संशोधन हेतु निम्न विनियम बनाती है अर्थात्:

1. (ii) इन विनियमों का नाम नए होमियोपैथी चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना (अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना) संशोधन विनियम, 2018 होगा।

(ii) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2 नए होमियोपैथी चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना (अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना) विनियम, 2011 में (यहां इसके पश्चात् उक्त विनियम के नाम से संदर्भित) में, विनियम 9 में, उप विनियम (1) के लिए निम्न उप विनियम से प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात् :

“(1) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, नए होमियोपैथी चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करना अथवा नया पाठ्यक्रम अथवा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने जो आवश्यक हो, हेतु, आशय पत्र जारी करेगी।”

3. उक्त विनियमों में अनुसूची के लिए निम्न अनुसूची से प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात् :

“अनुसूची”

(विनियम 5 देखें)

आवेदनों को पत्र प्राप्त करने तथा प्रसंस्करण हेतु अनुसूची

क्र०सं० (1)	प्रसंस्करण की स्थिति (2)	अंतिम तिथि (3)
होमियोपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की धारा '12 क' के अंतर्गत नये आवेदन		
1	केंद्रीय सरकार द्वारा आन-लाइन आवेदनों की प्राप्ति ।	किसी भी वर्ष में 1 जुलाई से 31 अगस्त तक (दोनों दिन सम्मिलित) ।
2	योग्य आवेदनों के तकनीकी परीक्षण हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय होमियोपैथी परिषद को प्रेषित करना ।	जिस वर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा आन लाइन आवेदन प्राप्त किये गए हों, उस वर्ष की 30 सितम्बर तक ।
3	केंद्रीय सरकार को अनुमति पत्र (एलओपी) जारी करने/ अस्वीकार करने हेतु केंद्रीय परिषद की संस्तुति ।	जिस वर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा आवेदन प्राप्त किये गए हों, उसके अगले वर्ष की 31 मार्च तक ।
4	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, सिद्धा तथा होमियोपैथी मंत्रालय का निर्णय ।	जिस वर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा आवेदन प्राप्त किये गए हों उसके अगले वर्ष की 31 मई तक ।

नोट: (i) केंद्रीय सरकार आवेदन प्राप्त होने के पश्चात आवेदनों की बुनियादी पात्रता मानदंडों की प्राथमिक जाँच करेगी, जैसे कि आवेदन शुल्क, राज्य सरकार का अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC), विश्वविद्यालय का संबंधता हेतु सहमति पत्र तथा केंद्रीय सरकार केवल योग्य आवेदनों को ही परिषद को आगे विचारार्थ अग्रेषित करेगी तथा अयोग्य एवं तथा अधूरे आवेदनों को आवेदकों को लौटा दिए जायेंगे ।

(ii) परिषद महाविद्यालयों का निरीक्षण करेगी तथा यदि महाविद्यालय योग्य पाए गए तो आशय पत्र (एलओआई) जारी करेगी तथा तदोपरांत आशय पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुपालन का निरीक्षण/ जाँच परिषद द्वारा की जाएगी तथा अस्वीकार करने अथवा अनुमति प्रदान करने सम्बंधित संस्तुति, जैसा मामला हो, जिस वर्ष कि मंत्रालय में उक्त आवेदन प्राप्त हो, के अगले वर्ष की 31 मार्च तक आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, सिद्ध- तथा होमियोपैथी मंत्रालय को प्रेषित करेगी ।

डॉ० आशिस दत्ता, रजिस्ट्रार-सह-सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./87/18]

नोट: मूल विनियमों को भारत के असाधारण राजपत्र भाग- III, खण्ड 4, दिनांक 14 अक्टूबर, 2011 में अधिसूचना सं.12-6/2001-CCH(Pt.) दिनांक 30 सितम्बर, 2011 तथा तत्पश्चात संशोधित अधिसूचना सं० 12-6/2001-CCH(Pt.), दिनांक राजपत्र भाग- III, खण्ड 4, दिनांक 7 मार्च, 2016 को प्रकाशित किया गया।

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st June, 2018

No. 12-6/2001-CCH (Pt-II).—In exercise of the powers conferred by section 33 read with section 12A of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Establishment of New Homoeopathy Medical College, (Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College) Regulations, 2011, namely:-

- (i) These regulations may be called the Establishment of New Homoeopathy Medical College, (Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College) Amendments Regulations, 2018.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Establishment of New Homoeopathy Medical College, (Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College) Regulations, 2011 (herein after referred to as the said regulations), in regulation 9, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted namely:-

“The Central Council of Homoeopathy shall issue a letter of intent to set up a new Homoeopathy medical college or open new course or increase in intake capacity as considered necessary.”

3. In the said regulations, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“SCHEDULE

(See regulation 5)

Schedule for receipt and processing of the applications

S.No.	State of processing	Last Date
(1)	(2)	(3)
New applications under section 12A of the Homoeopathy Central Council Act, 1973		
1.	Online receipt of applications by the Central Government	From 1 st July to 31 st August (both days inclusive) of any year.
2.	Forwarding of eligible application by the Central Government to the Central Council of Homoeopathy for technical scrutiny.	By the 30 th September of the year in which online application is received by the Central Government.
3.	Recommendations of the Central Council to the Central Government for issuing Letter of Permission (LOP)/denial	By the 31 st March of the year following the year in which above said application is received by the Central Government.
4.	Decision of the Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy	By the 31 st May of the year following the year in which the aforesaid application is received by the Central Government.

Note: (i) The Central Government, after receipt of the applications shall do the preliminary scrutiny of applications for basic eligible criteria like Application Fee, No Objection Certificate (NOC) of the State Government, Consent of Affiliation of the University and the Central Government shall forward only the eligible applications to the Council for further consideration and the in-eligible and incomplete applications shall be rejected and returned to the applicants.

(ii) The Council shall inspect the colleges and issue Letter of Intent (LOI), if the college is found eligible and the Council shall then inspect/verify the compliance of the conditions of LOI and send the recommendation of either Denial or Letter of Permission (LOP) as the case may be., by 31st March of the year following the year in which the aforesaid application is received by the Central Government for approval of the Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy”.

Dr. ASHIS DATTA, Registrar-Cum-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./87/18]

Note:—The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section-4, dated the 14th October, 2011 vide notification No. 12-6/2001-CCH (Pt.), dated the 30th September, 2011 and subsequently amended vide notification No. 12-6/2001-CCH (Pt.II) published in the Gazette of India, Part III, Section 4, dated the 7th March, 2016.